न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/65

1. रामकिशन पुत्र भौरया जाति मीना निवासी भगलाव तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. टुण्डा पुत्र भौरया जाति मीना निवासी भगलाव तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
2. राजस्थान राजय सरकार जरिये तहसीलदार नांगलराजावतान जिला दौसा राज0।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा दिनांक 03.08.2022 अनुवानी टनरेष वगै0 बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 1/2022 जो प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 में किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलान्ट
2. श्री वरूण नागर, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक –23.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 03.08.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 21.06.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा में इस आशय का पेश किया कि ग्राम भगलाव तहसील नांगल राजावतान स्थित नंबर 17, 18, 21, 624, 626, 704, 712, 713, 714, 720, 721 का प्रार्थी खातेदार व काश्तकार है तथा रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि में किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। इसके बावजूद भी पडौसी खातेदार अनावश्यक रूप से सीमा विवाद उत्पन्न करते है, इसलिये प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की पत्थरगढी करवाकर चिन्ह अंकित करवाना चाहता है ताकि फसल की सुरक्षा रहे तथा किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नांगलराजावतान को आदेश दिये गये कि प्रार्थी की ग्राम भगलाव तहसील नांगल राजावतान स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 17, 18, 21, 624, 626, 704, 712, 713, 714, 720, 721 की पत्थरगढी कराने हेतु अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर मय पुलिस इमदाद नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 पारित किये गये।
3. उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 03.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री रामकिशन पुत्र भौरया द्वारा यह अपील 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा दिनांक 03.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स व कैवियटर्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 एवं राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ताओं की बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्ट प्रभावित काबिज व अन्य पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना फर्जी तरीके से करवायी गयी तरमीम के आधार पर रेस्पो. नम्बर 2 के खिलाफ निहायती झूठें तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान के यहां इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थया की ग्राम भगलाव तहसील नांगल राजावतान स्थित नंबर 17, 18, 21, 624, 626, 704, 712, 713, 714, 720, 721 का प्रार्थी खातेदार व काश्तकार है तथा रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि में किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। इसके बावजूद भी पडौसी खातेदार अनावश्यक रूप से सीमा विवाद उत्पन्न करते है, इसलिये प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की पत्थरगढी करवाकर चिन्ह अंकित करवाना चाहता है ताकि फसल की सुरक्षा रहे तथा किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रभावित काबिज व्यक्ति व पडौसी खातेदार अपीलान्ट व अन्य खातेदारान को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना कानून की विपरीत तरीके से उक्त प्रकरण को दर्ज करने का आदेश दे दिया जबकि तहसीलदार जी के रिपोर्ट मे स्पष्ट है कि पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाकर सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित होगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के व पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही दिनांक 03.08.2022 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर प्रार्थी की ग्राम भगलाव तहसील नांगल राजावतान स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 17, 18, 21, 624, 626, 704, 712, 713, 714, 720, 721 की पत्थरगढी कराने हेतु अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर मय पुलिस इमदाद नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 पारित किये गये। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम दिनांमक 13.06.2024 को पटवारी हल्का ने प्रार्थी से कहा कि तुम तुम्हारे कब्जे की भूमि को खाली करो उसमें हम पत्थरगढी करेंगे हमारे पास पत्थरगढी का आदेश तहसीलदार से प्राप्त हुआ है। अपीलांटस ने उसी दिन दिनांक 13.06.2024 को एस.डी.ओ. कोर्ट में जाकर उक्त निर्णय बाबत जानकारी की तथा उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 18.06.2024 को प्राप्त हुई। जिस कारण जानकारी से एवं नकल प्राप्ति से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है । अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाकर रिकॉर्ड पर लिये जाने के निर्णय पारित करने की कृपा करें। अपीलान्ट पडौसी खातेदार होने के कारण पीडित एवं प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करें। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पडौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनवाये बिना मौके के विपरीत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा दिनांक 03.08.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा में इस आशय का पेश किया कि ग्राम भगलाव तहसील नांगल राजावतान स्थित नंबर 17, 18, 21, 624, 626, 704, 712, 713, 714, 720, 721 का प्रार्थी खातेदार व काश्तकार है तथा रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि में किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। इसके बावजूद भी पडौसी खातेदार अनावश्यक रूप से सीमा विवाद उत्पन्न करते है, इसलिये प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की पत्थरगढी करवाकर चिन्ह अंकित करवाना चाहता है ताकि फसल की सुरक्षा रहे तथा किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नांगलराजावतान को आदेश दिये गये कि प्रार्थी की ग्राम भगलाव तहसील नांगल राजावतान स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 17, 18, 21, 624, 626, 704, 712, 713, 714, 720, 721 की पत्थरगढी कराने हेतु अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर मय पुलिस इमदाद नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 पारित किये गये। पत्थरगढी ने इनको बेदखल करने का कोई आदेश नहीं है। टीम जो गठित की है वह पडौसी खातेदारों को बुलाया जावेगा। जमीन मेरी है। दावा किया गया था जो दिनांक 15.06.2017 को टी.आई. खारिज हो गया। दिनांक 15.06.2017 का आदेश आपकी जानकारी में है। सात साल बाद एस.ओ./आर.ए.ए. से स्टे करवाते हैं। दूसरी ओर एग्रीव्ड न होते हुए भी उक्त अपील श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की है। तहसीलदार को निर्देश दे दे की इनको भी सुना जाये। केवल खसरा की सीमा तय हो रही है, अधिकार तय नहीं हो रही है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही पक्षों के मौजूदगी में सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी की जावे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम रूपये 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये की कोष्ट पर स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के

निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में समरी जॉच पश्चात पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करवायी जावे। इसके पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नांगलराजावतान जिला दौसा दिनांक 03.08.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में समरी जॉच पश्चात पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर